न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील/01/2024

1—श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 श्री रुपकिशोर आयु 70 वर्ष
2—श्रीमती उर्मिला देवी पत्नि द्वारिका प्रसाद आयु 68 वर्ष
निवासीयान मकान नम्बर 391 नीमदा गेट बाहर तिलक नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलार्थी0

बनाम

1—ललिता प्रसाद पुत्र द्वारिका प्रसाद मो0न0 9785436556
2—श्रीमती आशा पत्नि ललिता प्रसाद मो.न.9785436556
निवासीयान मकान नम्बर 391 नीमदा गेट बाहर तिलक नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

..... रेस्पो.

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.02.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरण पोषण भरतपुर प्रकरण संख्या 1/24

**उपस्थितः—**

1— श्री उत्तम शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट,
2— स्वयं रेस्पो0

**निर्णय** दिनांक 21.06.2024

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आदेश दिनांक 21.02.2024 के पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2024 में अधिनियम की धारा 9(2) के तहत प्रार्थीगण को सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाकर हिदायदादी गई है कि व प्रार्थीगण को परेशान नहीं करेंगे, सद्भावना पूर्ण व्यवहार करेंगे एवं उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखेंगे। साथ ही प्रार्थीगण को भी पाबन्द किया गया है कि वे अपने पुत्र से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करेगें। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आदेश दिनांक 21—02—2024 से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अपीलान्ट वकील उपस्थित, उभय पक्ष को सुना गया।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि रेस्पो उसके पुत्र व पुत्र वधु हैं। अपीलार्थी संख्या 1 हार्ट पेशेन्ट है तथा अपीलार्थी संख्या 2 भी मेडिकल अनफिट है। अपीलान्ट एवं रेस्पो एक ही मकान में रह रहे हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि रेस्पो0 आज तक बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान तक नहीं करते हैं। रेस्पो. अपने माता पिता एवं भाई बहन से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तथा सम्पत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। रेस्पो. जो आराजी भूमि ग्रांम गुन्सारा में बताई है उसमें हमारे अलावा बड़े पुत्र सत्यभान तिवारी व दो पुत्रियों का हिस्सा है। खेत से कोई मिट्टी का बेचान नहीं किया गया है। प्रार्थी ने रेस्पो के लिये एक प्लाट यूआईटी का घासीनगर में दिलाया हुआ है ये वहॉ रह सकते हैं गांव गुन्सारा में भी मकान है उसमें रह सकते हैं। रेस्पो.संख्या 1 ने अपीलान्ट की आंख फोड़ दी जिससे आज तक दिखाई नहीं देता है। दोनों लड़कीयॉ एव वड़ा लड़का रेस्पो के झगड़ा करने की डर से घर नहीं आते हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि तहत न्यायालय ने रेस्पो. को अपीलान्टस के साथ रहने का जो आदेश दिया है वह गलत है इससे अपीलान्टस की सुरक्षा का खतरा हो रहा है। अगर रेस्पो हमारे मकान में निवास करेंगें तो अपीलार्थीगण के जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती है इसलिये अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष विवादित मकान से वेदखली का कोई आदेश तहत न्यायालय ने नहीं दिया है, योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय सम्पत्ति खाली करवाने के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 412/2019 श्रीमती ललिता कंवर बनाम सुमेरसिंह खची व अन्य में स्पष्ट रुप से कहा कि माननीय न्यायालय को सम्पत्ति खाली करवाने का अधिकार प्राप्त है। योग्य अभिभाषक ने कहा कि अपील स्वीकार कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.2.2024 का अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण को निम्न अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना की गई –

**(क)** प्रार्थीगण के स्वामित्व के मकान नम्बर 391 नीमदा गेट बाहर, तिलक नगर भरतपुर राजस्थान से प्रत्यथीगण को बेदखल कर उससे वास्तविक खाली कब्जा अपीलार्थीगण को दिलवाया जावे।

**(ख)** अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व के मकान नम्बर 391 नीमदागेट बाहर तिलक नगर भरतपुर में उनके रहने आने जाने व उपयोग व उपभोग में

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रत्यर्थीगण किसी भी प्रकार से कोई दखलन्दाजी या व्यवधान पैदा ना करें ऐसा न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावे।

(ग) थाना अधिकारी पुलिस थाना अटलबन्द भरतपुर को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण को सुरक्षा बावत कार्यवाही नियमित रुप से करे तथा प्रार्थीगण की सुरक्षा कराई जावे।

(घ) प्रत्यर्थीगण को पावन्द किया जावे कि वह भविष्य में कभी भी अपीलार्थीगण के जीवन काल तक उनके साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानिसक यातनाऐं या प्रताडना नहीं देवें ना ही उन्हें कभी गालीयॉ दे और ना ही उनकी शान्ति भंग करें तथा ना ही उनके शान्तिपूर्ण निवास व सम्पत्ति के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करें।

रेस्पो स्वयं उपस्थित हैं उन्होने बताया कि अपीलान्टस हमारे पिता/ससुर हैं। अपील में अंकित कथन गलत हैं। प्रार्थीगण मकान के अपने हिस्से में रहते हैं हम अपने हिस्से में रहते हैं। प्रार्थीगण की सेवा सुश्रषा एवं देखभाल अप्रार्थीगण ही करते हैं। अप्रार्थीगण किसी भी तरह से इन्हें परेशान नहीं करते हैं। अपील में सारे तथ्य गलत अंकित कराये गये हैं। अप्रार्थी होमगार्ड में नोकरी करता है तथा अल्प आय का व्यक्ति है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। उभय पक्षक की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.2.2024 का अध्ययन किया गया अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष पर गौर किया गया। बुढापे में वृद्ध माता पिता की सेवा सुश्राषा पुत्रों द्वारा नहीं किये जाने के कारण ही वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया गया है। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि बुढापे/वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सेवा सुश्राषा करे उनके भरण पोषण का ख्याल रखे।

अपीलान्ट ने चाहे गये अनुतोष जो कि मकान नम्बर 391 नीमदा गेट बाहर, तिलक नगर भरतपुर राजस्थान से प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर उससे वास्तविक खाली कब्जा अपीलार्थीगण को दिलाये जाने बाबत है। इस सम्बन्ध में तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जबाब अप्रार्थीगण का अवलोकन किया गया, जबाब की मद नम्बर 12 में कथित विवादित मकान तिलक नगर में प्रार्थीगण व

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अप्रार्थीगण के मध्य परिधि खीचीं होना अंकित किया है, यानि कथित मकान के बीच परिधि खींची कर दो भाग किये हुये प्रतीत होते हैं। अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने अपने जवाब उल जवाब में इस बाबत कोई विरोध नहीं करना अप्रत्यक्ष रुप से यह जाहिर करता है कि कथित मकान के बीच परिधि खींची होना प्रार्थीगण स्वीकारते हैं। इस यह निर्विवाद है तिलक नगर स्थित कथित मकान के अलग अलग पोरशन में प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अलग अलग निवास करते हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के क्रम में अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाना उचित पाते हैं

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण की उम्र एवं बीमार स्थिति को मध्यनजर रखते हुये तथा अकेला रहने की स्थिति में उनकी देखभाल सेवा सुश्राषा के लिये उनके किसी पुत्र का होना आवश्यक समझते हुये अपीलार्थीगण के मुताविक उनका बड़ा पुत्र बाहर रहता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनके रहने आने जाने व उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई दखलन्दाजी या व्यवधान पैदा ना करें ना किसी से करावें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनके साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक यातनाऐं या प्रताडना नहीं देवें ना ही उनको कभी गालीयॉ दें। पुलिस थाना अधिकारी अटलबन्ध भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेशों की पालना में समय समय पर प्रार्थीगण की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को पालनार्थ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर